168/2000
11/4/2000

XXX-Part.—21

रूप क्रमांक 2

(देखिये नियम 7)

मध्यप्रदेश शासन

समिति का पंजीयन प्रमाणपत्र

क्रमांक जे.सी. 4638

यह प्रमाणित किया जाता है कि विद्या भूमि जनकल्याण समिति छिन्दवाडा

समिति जो सतपुडा विहार कालोनी, तहसील छिन्दवाडा
पि.न. 600 छिन्दवाडा में स्थित है, मध्यप्रदेश
छिन्दवाडा

सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1973 (सन् 1973 का क्रमांक 44)

के अधीन 11:4:2000 को पंजीयित की गई है।

दिनांक ग्यारह माह अप्रैल सन् 2000

B. S. SOLANKI
सोसायटियों के रजिस्ट्रार,
Assistant Registrar,
Firms & Society,
Jabalpur Division Jabalpur

ATTESTED
M.P VISHWAKARMA
ADVOCATE & NOTARY
CHHINDWARA (M.P.)

NOTARY
R. No
M.P 7/4/8/21-B(2) 2010
M.P. VISHWAKARMA
DISTT CHHINDWARA
(M.P.)
GOVT. OF INDIA

// प्रारूप क्रमांक ---1//

--: देखिये नियम-3 :---

Annexure 4 dtd 24/05/2000 31/8/2000

[समितियों के पंजीयन हेतु ज्ञापन-पत्र]

[1] समिति का नाम "वियाभूमि जनकल्याण समिति" छिन्दवाड़ा होगा ।

[2] समिति का कार्यालय:- "~~विशेष विद्या भवन~~" सतपुड़ा विहार कॉलोनी मकान नं. 600 छिन्दवाड़ा तह. जिला छिन्दवाड़ा में स्थित होगा ।

[3] समिति के उद्देश्य निम्नलिखित होंगे :---

[1] साहित्य, कला, संस्कृति और विज्ञान की शिक्षा की व्यवस्था करना ।
[2] स्कूल और कालेज संचालित करना ।
[3] पुस्तकालय और वाचनालय संचालित करना ।
[4] पर्यावरण सुधार के कार्यक्रम संचालित करना ।
[5] ~~विभिन्न विषयों पर पुस्तकें, ग्रन्थ और साहित्य का प्रकाशन करना~~ ।
[6] स्वरोजगार के लिये प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित करना । (Signature)

[4] समिति के प्रबन्ध विनियमों द्वारा समिति के कार्यों का प्रबन्ध शासक परिषद, संचालकों, सभा या शासी-निकायों को सौंपा गया है जिनके नाम, पते तथा धन्धों का उल्लेख निम्नानुसार है :---

क्रमांक	नाम पिता/पति का नाम	पद	पूर्ण पता	धन्धा
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
01	शिवराज यादव/ आत्मज श्री शालिकराम यादव	अध्यक्ष	सतपुड़ा विहार कॉलोनी छिन्दवाड़	व्यवसायी/ समाजसेवक
02	धर्मेन्द्र जयस्वाल/आत्मज श्री हंसकुमार जयस्वाल	उपाध्यक्ष	परकोटक छिन्दवाड	पत्रकार/ समाजसेवक
03	श्रीमती आशा अवस्थी/ पत्नी राजकुमार अवस्थी	सचिव	बुधवन छिन्दवाड़ा	शिक्षिका/ समाजसेविका
04	अंशु गुप्ता/आत्मज श्री हिमांशु गुप्ता	संयुक्तसचिव	विष्णुनगर छिन्दवाड़ा	बैंक कर्मी/ समाजसेवक
05	श्रीमती कारवी गुप्ता पत्नी श्री अंशु गुप्ता	(Signature) सहसचिव	विष्णुनगर छिन्दवाड़ा	शिक्षिका/ समाजसेविका
06	श्रीमती सिजया यादव पत्नी शिवराज यादव	कोषाध्यक्ष	विष्णुनगर छिन्दवाड़ा	गृहणी/समाजसेविका
07	श्रीमती रेखा मंगले पत्नी श्री मधुकर मंगले	सदस्य	चन्दनगाँव छिन्दवाड़ा	गृहणी/समाजसेविका

====:0000:====

[5] समिति के इस ज्ञापन-पत्र के साथ समिति के विनियमों की एक प्रमाणित प्रति जैसा कि मध्यप्रदेश सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1973 [1973 का 44] की धारा 5 की उपधारा [2] के अधीन अपेक्षित है संलग्न है ।

हम अपने व्यक्ति, जिनके नाम और पते लिखे हैं समिति का निर्माण उपरोक्त ज्ञापन-पत्र के अनुसार करने के इच्छुक है तथा ज्ञापन पत्र पर निम्नांकित साक्षियों की उपस्थिति

NOTARY M.P. R.No 7/416/21-B(7)-2010 M.P. VISHWAKARMA DIST. CHHINDWARA (M.P.) GOVT. OF INDIA

ATTESTED
M.P VISHWAKARMA
ADVOCATE & NOTARY
CHHINDWARA (M.P.)

—=:जारी पृष्ठ दो:=—

मैं हस्ताक्षर किये हैं :———

क्रमांक	निर्माणकर्ताओं के नाम, पूर्ण पते पिता/पति का नाम सहित	हस्ताक्षर
01	शेषराव यादव आत्मज शालिगराम यादव, सतपुड़ा विहार कॉलोनी, छिन्दवाड़ा	[signature]
02	धर्मेन्द्र जयस्वाल आत्मज श्री हंसकुमार जयस्वाल, चार फाटक छिन्दवाड़ा	[signature]
03	श्रीमती आशा अवस्थी पत्नी श्री राजकुमार अवस्थी, बड़बन छिन्दवाड़ा ।	[signature]
04	अंशु गुप्ता आत्मज श्री हिमांशु गुप्ता, विशुनगर छिन्दवाड़ा.	A.gupta
05	श्रीमती कारवी गुप्ता पत्नी श्री अंशु गुप्ता विशु नगर छिन्दवाड़ा	K.gupta
06	श्रीमती विजया यादव पत्नी श्री शेषराव यादव सतपुड़ा विहार कॉलोनी छिन्दवाड़ा	[signature]
07	श्रीमती रेखा मंगले पत्नी श्री मधुकर मंगले, चन्द्रनबांध छिन्दवाड़ा	सौ रेखा मंगले

जो अनावश्यक हो उसे काटिये ।

साक्षी

हस्ताक्षर:— Bm.

नामः— राजकुमार विश्वकर्मा

पूर्ण पताः— [illegible]

व्यवसायः— व्यापार

[signature] 21.3.2000

डीजीटल रजिस्ट्रार

[illegible]

ATTESTED

M.P VISHWAKARMA
ADVOCATE & NOTARY
CHHINDWARA (M.P)

NOTARY
R.No
M.P 7/4/6-21-B(2) 2010
M.P. VISHWAKARMA
DISTT.CHHINDWARA (M.P)
GOVT. OF INDIA

—=: नियमावली :=—

(1) संस्था का नामः- विद्याभूमि जनकल्याण समिति छिन्दवाड़ा (म.प्र.) होगा ।

(2) संस्था का कार्यालयः- "विशेष विकास कक्ष" सतपुड़ा बिहार कॉलोनी छिन्दवाड़ा तहसील जिला छिन्दवाड़ा (मध्यप्रदेश) ।

(3) संस्था का कार्यक्षेत्र जिला छिन्दवाड़ा मध्यप्रदेश होगा ।

(4) संस्था का उद्देश्यः—

(1) साहित्य, कला, संस्कृति और विज्ञान की शिक्षा की व्यवस्था करना ।
(2) स्कूल और कालेज संचालित करना ।
(3) पुस्तकालय और वाचनालय संचालित करना ।
(4) पर्यावरण सुधार के कार्यक्रम संचालित करना ।
~~(5) विभिन्न विषयों पर पुस्तकें, शोधग्रन्थ और साहित्य का प्रकाशन करना ।~~
(6) स्वरोजगार के लिये प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित करना ।

(5) सदस्यताः- संस्था के निम्नलिखित श्रेणी के सदस्य होंगे :—

(अ) संरक्षण सदस्यः- संस्था को जो व्यक्ति दान के रूप में एक हजार रुपये या अधिक एकमुश्त या एक साल में बारह किश्तों में देगा वह समिति का संरक्षक सदस्य होगा ।

(ब) आजीवन सदस्यः- जो व्यक्ति संस्था के को दान के रूप में आठ सौ रुपये या अधिक देकर आजीवन सदस्य बन सकेगा । कोई भी आजीवन सदस्य के रुपये दो सौ रुपये या अधिक देकर संरक्षक सदस्य बन सकता है ।

(स) साधारण सदस्यः- जो व्यक्ति रुपये पाँच सौ प्रतिवर्ष संस्था को चन्दे के रूप में देगा वह साधारण सदस्य होगा । साधारण सदस्य केवल उसी अवधि के लिये सदस्य होगा जिसके लिये उसने चन्दा दिया है जो साधारण सदस्य बिना सन्तोषजनक कारण के छः ह माह तक देय चन्दा नहीं देगा उसकी सदस्यता समाप्त हो जावेगी । ऐसा सदस्य द्वारा संस्था के लिये नया आवेदन-पत्र देने तथा बकाया चन्दे की राशि देने पर पुनः सदस्य बनाया जा सकता है ।

(द) सम्माननीय सदस्यः- संस्था की प्रबन्धकारिणी किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को उस समय के लिये जो भी उचित समझे सम्मानीय सदस्य बना सकती है ऐसे सदस्य साधारण सभा की बैठक में भाग ले सकते हैं परन्तु उनको मत देने का अधिकार न होग

(6) सदस्यता प्राप्तिः- प्रत्येक व्यक्ति जो कि समिति का सदस्य बनने का इच्छुक हो लिखित रूप में आवेदन करना होगा । ऐसा आवेदनपत्र प्रबन्धकारिणी समिति को प्रस्तुत होगा जिसके आवेदन पत्र को स्वीकार करने या अमान्य करने कर अधिकार होग

(7) सदस्यों की योग्यताः- संस्था का सदस्य बनने के लिये किसी व्यक्ति में निम्नलिखित योग्यता होना आवश्यक हैः—

(1) आयु 18वर्ष से कम न हो । (2) भारतीय नागरिक हो ।
(3) समिति के नियमों के पालन की प्रतिज्ञा का हो ।
(4) सदचरित्र हो तथा मद्यपान न करना हो ।

(8) सदस्यता समाप्तीः- संस्था की सदस्यता निम्नलिखित स्थिति में समाप्त हो जावेगी

(1) मृत्यु हो जाने पर (2) पागल हो जाने पर (3) संस्था के देय चन्दे की रकम नियम में बताये अनुसार जमा न करने पर (4) त्यागपत्र देने पर और स्वीकार होने पर, (5) चरित्रक दोष होने पर और कार्यकारिणी समिति के नियमानुसार निकाल दिये जाने पर जिसके निर्णय पारित होने की सूचना सदस्य को लिखित रूप में देनी होगी ।

हस्ताक्षरः- अध्यक्ष .... सचिव .... कोषाध्यक्ष ....

ATTESTED
M.P VISHWAKARMA
ADVOCATE & NOTARY
CHHINDWARA (M.P)

NOTARY
R.No
M.P 7/4/6/21-B(2)/2010
M.P. VISHWAKARMA
DISTT. CHHINDWARA (M.P.)
GOVT. OF INDIA

निरन्तर पृष्ठ दो पर..

//जारी पृष्ठ दो//

{9} संस्था कार्यालय में सदस्य पंजी रखी जावेगी जिसमें निम्न ब्यौरे दर्ज किये जावेगें :—

{1} प्रत्येक सदस्य का नाम,पता तथा व्यवसाय ।
{2} वह तारीख जिसकी सदस्यों को प्रवेश दिया गया हो व रसीद नम्बर ।
{3} वह तारीख जिससे सदस्यता समाप्त हुई हो ।

{10} {अ} साधारण सभा :- साधारण सभा में नियम 5 में दशाये श्रेणी के सदस्य समावेशित होगें । साधारण सभा की बैठक आवश्यकतानुसार हुआ करेगी । परन्तु वर्ष में एक बार बैठक अनिवार्य होगी । बैठक का माह तथा बैठक का स्थान व समय कार्यकारिणी समिति निश्चित कर 15 दिवस पूर्व प्रत्येक सदस्य को दी जावेगी । बैठक का कोरम 2/3 सदस्यों का होगा । संस्था की प्रथम आमसभा पंजीयन दिनांक से 3माह के भीतर बुलाई जावेगी । उसमें संस्था के पदाधिकारियों का विधिवत् निर्वाचित किया जावेगा यदि संबंधित आमसभा का आयोजन किसी समय नहीं किया जाता तो पंजीयक को अधिकार होगा कि वह संस्था की आमसभा का आयोजन किसी जिम्मेदार कर्मचारी के मार्गदर्शन में एवं पदाधिकारियों का विधिवत् चुनाव कराया जावेगा ।

{ब} प्रबन्धकारिणी सभा :- प्रबन्धकारिणी सभा बैठक प्रत्येक माह होगी तथा बैठक का एजेण्डा तथा सूचना बैठक दिनांक से सात दिन पूर्व कार्यकारिणी के प्रत्येक सदस्य को भेजी जाना आवश्यक होगी । बैठक में कोरम 1/2 सदस्यों की होगी । यदि बैठक का कोरम पूर्ण नहीं होता तो बैठक एक घण्टे के लिये स्थगित की जाकर उसी स्थान पर उसी दिन पुन: की जा सकेगी जिसके लिये कोरम की कोई शर्त न होगी ।

{स} विशेष:- यदि कम से कम कुल संख्या{कुल सदस्यों की संख्या} के 2/3 सदस्यों द्वारा लिखित रूप से बैठक बुलाने हेतु आवेदन करें तो उनके दर्शाये गये विषय पर विचार करने के लिये साधारण सभा की बैठक बुलायी जावेगी । विशेष संकल्प पारित हो जाने पर संकल्प की प्रति ~~बैठक पंजीयक को संक~~ बैठक पंजीयक को संकल्प पारित हो जाने से दिनांक से 14 दिन के भीतर भेजा जावेगा । पंजीयक को इस सम्बन्ध में आवश्यक निर्देश जारी करने तथा समिति को परामर्श देने का अधिकार होगा ।

{11} साधारण सभा के अधिकार व कर्तव्य:-

{क} संस्था के पिछले वर्ष का वार्षिक विवरण प्रगति प्रतिवेदन स्वीकृत करना ।
{ख} संस्था की स्थाई निधि व सम्पत्ति की ठीक व्यवस्था करना ।
{ग} अन्य ऐसे विषयों पर विचार करना हो प्रबन्धकारिणी द्वारा प्रस्तुत हो ।
{घ} आगामी वर्ष के लिये लेखा परीक्षकों की नियुक्ति करना ।
{च} संस्था द्वारा संचालित संस्थाओं के आय-व्यय पत्रकों की स्वीकृत करना ।
{छ} बजट का अनुमोदन करना ।

{12} प्रबन्धकारिणी का गठन :- ट्रस्टीज यदि कोई हो समिति के पदेन समिति के पदेन सदस्य होंगे । नियम 6 {अ,ब,स} में दशाये गये सदस्यों जिनके नाम पंजी रजिस्टर में दर्ज हो बैठक में बहुमत के आधार पर निम्नांकित पदाधिकारियों तथा प्रबन्धकारिणी समिति के सदस्यों का निर्वाचन होगा ।

{1} अध्यक्ष {2}उपाध्यक्ष {3}सचिव{4}कोषाध्यक्ष {5} संयुक्त सचिव एवं सदस्य—2

{13} प्रबन्ध समिति का कार्यकाल :- प्रबन्ध समिति का कार्यकाल तीन वर्ष का होगा । ... के कारण होने पर उस समय तक जब तक कि नई प्रबन्धकारिणी समिति का निर्माण नियमानुसार या अन्य कारणों से नहीं हो जाता करती रहेगी ... अवधि 6 माह से अधिक नहीं होगी, जिसका अनुमोदन साधारण सभा से ... अनिवार्य होगा ।

M.P. ... B(2) 2010
M.P. ... DISTT. CHHINDWARA
GOVT. OF INDIA

हस्ताक्षर:- अध्यक्ष........सचिव........कोषाध्यक्ष........

ATTESTED
M.P VISHWAKARMA
ADVOCATE & NOTARY
CHHINDWARA (M.P)

निरन्तर पृष्ठ तीन पर........

§14§ प्रबन्धकारिणी के अधिकार व कर्तव्य:-

§अ§ जिन उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु समिति का गठन हुआ है उसकी पूर्ति करना और इस आशय की पूर्ति हेतु व्यवस्था करना ।

§ब§ पिछले वर्ष का आय-व्यय का लेखा पूर्णतः परीक्षित किया हुआ प्रगति प्रतिवेदन के साथ प्रतिवर्ष साधारण सभा की बैठक में प्रस्तुत करना ।

§स§ समिति एवं उसके अधीन संचालित संस्थाओं के कर्मचारियों के वेतन तथा भत्ते आदि का भुगतान करना संस्था की चल-अचल सम्पत्ति पर लगने वाले कर आदि का भुगतान करना ।

§द§ कर्मचारियों शिक्षकों आदि की नियुक्ति करना ।

§इ§ अन्य आवश्यक कार्य करना जो साधारण सभा द्वारा समय-समय पर सौंपे जाये ।

§च§ संस्था की समस्त चल-अचल सम्पत्ति कार्यकारिणी समिति के नाम से रहेगी ।

§छ§ विशेष बैठक आमंत्रित कर संस्था के विधान में संशोधन किये जाने के प्रस्ताव पर विचार-विमर्श कर साधारण सभा की विशेष बैठक में उसकी स्वीकृति हेतु प्रस्तुत करेगी । साधारण सभा में कुल सदस्यों 2/3 मत से संशोधन पारित होने पर उक्त प्रस्ताव पारित कर पंजीयक को अनुमोदन हेतु भेजा जावेगा ।

§ज§ संस्था द्वारा कोई भी स्थावर सम्पत्ति, रजिस्ट्रार की लिखित अनुज्ञा के बिना विक्रय द्वारा या अन्यथा अर्जित या आन्तरित नहीं की जावेगी ।

§15§ अध्यक्ष के अधिकार:- अध्यक्ष साधारण सभा तथा प्रबन्धकारिणी समिति की समस्त बैठकों में अध्यक्षता करेगा तथा मंत्री द्वारा साधारण सभा में प्रबन्धकारिणी की बैठकों का आयोजन करवायेगा । अध्यक्ष का मत विचारार्थ विषयों में निर्णयात्मक होगा ।

§16§ उपाध्यक्ष के अधिकार:- अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष द्वारा साधारण सभा एवं प्रबन्धकारिणी की समस्त बैठकों की अध्यक्षता करेगा । अध्यक्ष के समस्त अधिकारों का उपयोग करेगा ।

§17§ सचिव§मंत्री§ के अधिकार:- §1§ साधारण सभा एवं प्रबन्धकारिणी की बैठक समय-समय पर बुलाना और समस्त आवेदन पत्र तथा सुझाव जो प्राप्त हो प्रस्तुत करना ।

§2§ समिति का आय-व्यय का लेखा परीक्षण से प्रतिवेदन तैयार करके साधारण सभा के सम्मुख प्रस्तुत करना ।

§3§ समिति के सारे कागजातों को तैयार करना तथा करवाना । उनका निरीक्षण करना व अनियमितता पाये जाने पर उसकी सूचना प्रबन्धकारिणी को देना ।

§4§ सचिव को किसी कार्य के लिये एक समय से रुपये ....500/-.... करने का अधिकार होगा ।

§18§ कोषाध्यक्ष के अधिकार:- समिति की धनराशि का पूर्ण हिसाब रखना तथा समिति या कार्यकारिणी द्वारा स्वीकृत व्यय करना ।

§19§ बैंक खाता:- संस्था की समस्त निधी किसी अनुसूचित बैंक या पोस्ट आफिस में रहेगी । दैनिक व्यय हेतु कोषाध्यक्ष के पास अधिकतम .....500/-... रुपये रहेंगे ।

§20§ संयुक्त सचिव के अधिकार:- सचिव की अनुपस्थिति में संयुक्त सचिव कार्य करेगा ।

§21§ पंजीयक को भेजी जाने वाली जानकारी:- अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत संस्था की वार्षिक आमसभा होने के दिनांक से 45 दिन के भीतर निर्धारित प्रारूप पर कार्यकारिणी समिति की सूची 200/- रू. की ~~xxxxxxxxxx~~ फायलिंग फीस के साथ फाईल की जावेगी तथा धारा 28 के अर्न्तगत 200/-रू. की राशि चालान द्वारा संस्था की परीक्षित लेखा भेजेगी।

हस्ताक्षर अध्यक्ष....[signature]....सचिव....[signature]....कोषाध्यक्ष....[signature]... §निरन्तर पृष्ठ 4

ATTESTED
M.P. VISHWAKARMA
ADVOCATE & NOTARY
CHHINDWARA (M.P.)

NOTARY
M.P.7/4/6/21-B(2) 2010
M.P. VISHWAKARMA
DISTT.CHHINDWARA (M.P.)
GOVT. OF INDIA

//पृष्ठ चार//

§22§ संशोधन:- संस्था के विधान में संशोधन साधारण सभा की बैठक में कुल सदस्यों के 2/3 मतों से पारित होगा । यदि आवश्यक हुआ तो संस्था के हित में उसके पंजीयक विधान में संशोधन करने का अधिकार पंजीयक फार्म एवं संस्थाये को होगा जो प्रत्येक सदस्यक को मान्य होगा ।

§23§ विघटन:- संस्था के विघटन साधारण सभा के कुल सदस्यों के 2/5 मत से पारित किया जायेगा । विघटन के पश्चात् संस्था की चल तथा अचल सम्पत्ति किसी समान उद्देश्यों वाली संस्था को सौंप दी जावेगी । उक्त समस्त कार्यवाही अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार की जावेगी ।

§24§ चैक सम्पत्ति:- संस्था की समस्त चल तथा अचल सम्पत्ति संस्था के नाम से रहेगी । संस्था की अचल सम्पत्ति §स्थावर§ रजिस्ट्रार फार्म एवं संस्थाएँ की लिखित अनुज्ञा से बिना विक्रय द्वारा दान द्वारा या अन्यथा प्रकार से अर्जित या आन्तरित नहीं की जा सकेगी ।

§25§ बैंक खाता:- संस्था की समस्त निधि किसी अनुसूचित बैंक या पोस्ट ऑफिस में खाता खोला जावेगा एवं समय-समय पर धन जमा करने व निकालने की प्रक्रिया जारी रहेगी।

§26§ पंजीयक द्वारा बैठक बुलाना:- संस्था की पंजीयन नियमावली के अनुसार पदाधिकारियों द्वारा वार्षिक बैठक ना बुलाये जाने पर या अन्य प्रकार से आवश्यक होने पर पंजीयक फर्म्स एवं संस्थाये को बैठक बुलाने का अधिकार होगा । साथ ही यह बैठक में विचारार्थ विषय निश्चित कर सकेगा ।

§27§ विवाद:- संस्था में किसी प्रकार का विवाद उत्पन्न होने पर अध्यक्ष को साधारण सभा के अनुमति से सुलझाने का अधिकार होगा । यदि इस निश्चय या निर्णय से पक्षों को संतोष न हो तो वह रजिस्ट्रार की ओर से विवाद के निर्णय के लिये भेज सकेंगे । रजिस्ट्रार का निर्णय अन्तिम व सर्वमान्य होगा । संचालित सभाओं के विवाद अथवा प्रबन्ध समिति के विवाद उत्पन्न होने पर अन्तिम निर्णय देने का अधिकार रजिस्ट्रार को होगा ।

हस्ताक्षर :- अध्यक्ष.............सचिव.............कोषाध्यक्ष.............

सत्य प्रतिलिपि

अतिरिक्त रजिस्ट्रार
फर्म्स एवं संस्थायें, जबलपुर

ATTESTED
M.P VISHWAKARMA
ADVOCATE & NOTARY
CHHINDWARA (M.P).

NOTARY
R.No
M.P 7/4/6/21-B(2) 2010
M.P. VISHWAKARMA
DISTT. CHHINDWARA
(M.P)
GOVT. OF INDIA

10 Rs.

ATTESTED
M.P VISHWAKARMA
ADVOCATE & NOTARY
CHHINDWARA (M.P.)

31.8.2000
असिस्टेंट रजिस्ट्रार
फर्म्स एवं संस्थायें, जबलपुर

NOTARY
R. No
M.P. 7/4/8(21)-B(2) 2010
M.P. VISHWAKARMA
DISTT. CHHINDWARA
(M.P.)
GOVT. OF INDIA

10 Rs.

21.9.2000

असिस्टेंट रजिस्ट्रार
फर्म्स एवं संस्थायें, जबलपुर

ATTESTED

M.P VISHWAKARMA
ADVOCATE & NOTARY
CHHINDWARA (M.P)

NOTARY
R No
M.P 7/4(6)21-B(2) 2010
M.P. VISHWAKARMA
DISTT CHHINDWARA
(M.P)
GOVT. OF INDIA

विधा भूमि जन कल्याण समिति

सतपुडा बिहार कालोनी मकान नम्बर 600 छिन्दवाडा तह. छिन्दवाडा जिला . छिन्दवाडा

फोन नम्बर . 222311

DATE : ------------------

विधा भूमि जनकल्याण समिति के सदस्यो की सूची

क.	पिता/पति का नाम	पद	पूर्ण पता	व्यवसाय	शैक्षणिक योग्यता
1.	श्री शेषराव यादव /पिता श्री शालिकराम यादव	अध्यक्ष	सतपुडा बिहार कालोनी छिन्दवाडा	व्यवसायी /समाजसेवक	मैट्रिक
2.	श्री धर्मेंद्र जायस्वाल /पिता स्व. श्री हंसकुमार जायस्वाल	उपाध्यक्ष	चारफाटक छिन्दवाडा	पत्रकार/ समाजसेवक	बी.एस.सी. एल.एल.बी.
3.	श्रीमति रेखा मंगले/पत्नि श्री मधुकर मंगले	सचिव	बडवन छिन्दवाडा	गृहणी / समाजसेविका	मैट्रिक
4.	श्री आशीष दुबे/ पिता स्व. श्री के. पी. दुबे	संयुक्त सचिव	राजनगर गुरैया रोड छिन्दवाडा	व्यवसायी / समाजसेवक	बी.एस.सी. एल.एल.बी.
5.	श्रीमति विजया यादव/पति श्री शेषराव यादव	कोषाध्यक्ष	सतपुडा बिहार कालोनी छिन्दवाडा	गृहणी / समाजसेविका	एम.ए./ बी.एड.
6.	श्रीमति शिवानी बोध / पत्नि श्री राजेश बोध	सदस्य	विशु नगर छिन्दवाडा	शिक्षिका / समाजसेविका	एम.ए.
7.	श्री विजय पवनीकर /पिता श्री एम. ए. पवनीकर	सदस्य	विवेकानंद कालोनी छिन्दवाडा	व्यवसायी /समाजसेवक	बी.एस.सी.

NOTARY
R.No
M.P 7/4/6/21-S/2/ 2010
M.P. VISHWAKARMA
DISTT CHHINDWARA (M.P)
GOVT. OF INDIA

ATTESTED
M.P VISHWAKARMA
ADVOCATE & NOTARY
CHHINDWARA (M.P)